न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः— डॉ. राकेश कुमार शर्मा आर.ए.एस.

अपील संख्या 150/2018

1. बलवंत सिंह पुत्र माडा सिंह जाति जटसिख निवासी करडवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. वीरपालकौर पत्नी बलवंत सिंह जाति जटसिख निवासी करडवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलांट्स

बनाम

1. सिमरजीत कौर पुत्री दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी हाल आबाद दादू तहसील कालांवाली जिला सिरसा (हरियाणा)।
2. हरपाल कौर पत्नी दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी हाल आबाद दादू तहसील कालांवाली जिला सिरसा (हरियाणा)।

— रैस्पोंडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्त.अधि. 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर
दिनांक 12.09.2018

उपस्थिति—
श्री बलकरण सिंह बराड अभिभाषक अपीलांट
श्री जरनैल सिंह टुरना अभिभाषक रैस्पों. सं. 1, 2

निर्णय दिनांक— 4-7-2019

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/रैस्पों. ने उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के समक्ष एक प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212आर.टी.एक्ट पेश कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रार्थीगण की भूमि चक नं 11 के.आर.डब्ल्यू. की प.नं. 88/128 मु.नं. 9 कि.नं. 1 ता 3, 10 की 1.012है0 व प.नं. 86/130 मु.नं. 18 कि.नं. 10 की 0.253है0 कुल 1.263है0 कृषि भूमि में किसी प्रकार की दखलअंदाजी करने में अप्रार्थीगण बाज व ममनू रहे व अप्रार्थी बलवंत सिंह द्वारा छोडा गया रास्ता चक 11 के.आर.डब्ल्यू. की प.नं. 88/128 मु.नं. 9 कि.नं. 6 ता 8 के प्रत्येक बीघा में 6 फुट रास्ता में किसी प्रकार का अवरोध पैदा करने से बाज व ममनू रहे।

(A) अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने जबाब प्रा.पत्र मय कांउटर प्रा.पत्र पेश कर कथन किया कि प्रा.पत्र प्रार्थीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जाकर कांउटर

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

प्रा.पत्र अप्रार्थी सं. 1 व 2 स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रार्थीगण चक 11 के. आर.डब्ल्यू. पं. नं. 88/128 मु.नं. 9 कि.नं. 1 ता 3, 10 की 1.012है0 व प.नं. 86/130 मु.नं. 18 कि.नं. 10 की 0.253है0 कुल 1.263है0 आराजी में अप्रार्थी सं. 1 व 2 की मुताबिक संविदा कब्जा काश्त में दखलअंदाजी करने से बाज व ममनू रहे।

(B) प्रार्थीगण ने जबाव उल जबाब व जबाब कांउटर प्रा.पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण के हम में प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट में वर्णित अनुतोष के अनुसार अस्थायी निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण के विरूद्ध पारित की जावे व अप्रार्थीगण का कांउटर प्रा.पत्र खारिज फरमाया जावे।

(C) उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर ने अपने आदेश दिनांक 12.09.2018 से प्रा.पत्र स्वीकार कर इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की कि अप्रार्थीगण प्रार्थी के हिस्से व कब्जा की जमाबन्दी के अनुसार चक 11 के.आर.डब्ल्यू. की प.नं. 88/128 मु.नं. 9 कि.नं. 1 ता 3, 10 की 1.012है0, प.नं. 86/130 मु.नं. 18 कि.नं. 10 की 0.253है0 कुल 1.263है0 आराजी में दखलअंदाजी करने से बाज व ममनू रहे एवं रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखे।

(D) उक्त आदेश से व्यथीत होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

(i) विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पों. /प्रार्थीगण/अपीलांट /अप्रार्थीगण के द्वारा आपस में काश्त की सुविधा को ध्यान में रखकर आपस में घरू बंटवारा कर रखा है जिसके अनुसार रेस्पों./प्रार्थीगण को चक 11 के.आर.डब्लयू के प.नं. 88/128 मु.नं. 9 कि. नं. 1 ता 3, 10 की 1.012है0 प.नं. 86/130 मु.नं. 18 कि.नं. 10 की 0.253है0 भूमि प्राप्त हुई है। अपीलांट सं. 1/अप्रार्थी सं. 1 बलवंत सिंह ने प्रार्थीगण की भूमि में जाने के लिए चक 11 के दृआर.डब्ल्यू. के प.नं. 88/128 मु.नं. 9 कि.नं. 6 ता 8 में 6 फुट रास्ता छोड रखा था जिसके

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

बदले में प्रार्थीगण की कब्जा काश्त की प.नं. 86/130 मु.नं. 18कि.नं. 10 में उक्त रास्ता के बदले बलवंत सिंह ने अप्रार्थी सं. 1 ने भूमि ले रखी है जिसकी लिखित दिनांक 13.03.18 को तहसील कार्यालय में करवायी थी। अधी.न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध पारित किया है।

रेस्पों. द्वारा अपीलांट सं. 2 को बेचानशुदा रकबा 0.253है0 रकबा की रजिस्टरी न करवाने पर अपीलांट सं. 2 द्वारा माननीय जिला न्यायाधीश में एक वाद पत्र 59/2018 बाबत विर्निदिष्ट पालना हेतु पेश कर रखा है जिसमें रेस्पों. उपस्थित आ चुके हैं और माननीय न्यायालय द्वारा रहन बेचान व हस्तांतरण न करने का आदेश पारित कर रखा है।

अधी. न्यायालय द्वारा माननीय जिला न्यायाधीश में वाद विचाराधीन होने व उसकी बाबत स्थगन आदेश होने के बाबजूद भी 0.253है0 का इन्द्राज भी अपने द्वारा पारित आदेश में किया है जो अविधिपूर्ण है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे व अस्थाई निषेधाज्ञा अपीलांट के हक में जारी कर चक 11 के.आर.डब्ल्यू. प.नं. 88/128 मु.नं. 9 कि.नं. 1 ता 3, 10 की 1.012है0, प.नं. 86/130 मु.नं. 18 के कि.नं. 10 की 0.253है0 कुल 1.263है0 आराजी में अपीलांट्स संख्या 1 व 2 की मुताबिक संविदा कब्जा काश्त में दखलअंदाजी करने से बाज व ममनू रहे।

(ii) विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश अधी.न्यायालय ने विधिसम्मत पारित किया है इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। रेस्पों. ने अधी. न्यायालय में अपने जबाब उल जबाव व जबाब कांउटर प्रा.पत्र में अपीलांट के प्रा.पत्र के जबाब का खण्डन किया है। अधी. न्यायालय द्वारा सभी पक्षों को सुनकर ही निर्णय पारित किया है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील प्राधिकारी

(a) अपीलांट व प्रत्यर्थी दोनों के अधिवक्ता उपस्थित, उनकी बहस के अनुसार वादीनी सिमरजीत कौर व हरकपाल कौर क्रमशः पत्नी व पुत्री दर्शन सिंह है जिनके हक व हिस्से की भूमि पर प्रतिवादीगण ने ठेका काश्त ले रखा था व कब्जा कर रखा था। चूंकि प्रत्यर्थी हरियाणा में रहती हैं, अपीलांट उनके परिवार के ही व पडौसी काश्तकार है जो सादुलशहर में निवास करते हैं। दोनों ही अधिवक्ता ने बताया कि अब चूंकि ठेका समाप्त हो चुका है। अतः अपील व इस न्यायालय के स्थगन का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रकरण समाप्त किया जावे।

(b) हमने अधी. न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया। उनके द्वारा चूंकि प्रार्थीगण भूमि की रिकार्डेड खातेदार है। अतः अप्रार्थीगण को निषेधाज्ञा से पाबंद करने व प्रार्थीगणों की भूमि में दखल, कब्जा न करने का आदेश देने का आदेश उचित व अहस्तक्षेप योग्य है।

(c) यह एक अनावश्यक प्रवृति का विवाद व अपील थी जिसमें अतिक्रमी कोटि के व्यक्ति ने ही रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध इस न्यायालय से एकतरफा स्थगन प्राप्त कर लम्बे समय से अपील चला रखी थी जिसका कोई औचित्य नहीं है।

अतः उपरोक्त निष्कर्षानुसार अधी. न्यायालय के प्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण के पक्ष में किया गया निषेधाज्ञा आदेश उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर दिनांक 12.09.2018 बहाल रखा जाता है। इस प्रकार इस न्यायालय द्वारा पारित एकतरफा अस्थाई व्यादेश दिनांक 27.09.2018 मंसूख किया गया समझा जावे। अपील मय कोस्ट 1000/- रूपये खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 4/7/2019 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर(राज.)